बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/148/2021- 1068

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
राँची, पिन–834002

पटना 14, दिनांक– 15/12/2022

विषय– श्री विकल्प द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत सबदला मौजा के खाता संख्या–115, प्लॉट संख्या–208, थाना–नासरीगंज, पोस्ट–नासरीगंज में SH-15 देहरी–नासरीगंज पथ के किनारे Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0195 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/149796/2021, दिनांक 21.09.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना के पत्रांक 1462, दिनांक 02.12.2022 द्वारा FCA Violation पर लिये गये Complete Action Taking Report उपलब्ध कराया गया है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतएव प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा किये गये उल्लंघन के आलोक में Penal NPV के साथ विषयक प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह० /–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC/148/2021- 1068 दिनांक– 15/12/2022

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /–
(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153125

ज्ञापांक– FC/148/2021- 1068 दिनांक– 15/12/2022

प्रतिलिपि : श्री विकल्प, मे. मधुपार्क फिलिंग स्टेशन, पुराना जी.टी. पथ, नेहरू पार्क के पास, सासाराम, पिन–821115 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/22

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण)
बिहार, पटना।

CC-6-IC

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय–वन संरक्षक, वन्यप्राणी अंचल, पटना।

अरण्य भवन, द्वितीय तल, शहीद पीर अली खाँ मार्ग (राईडिंग रोड) शेखपुरा, पो.– भेटनरी कॉलेज, पटना -800014,
दूरभाष नं 0612- 2226010, Email – cfwildlifecircle@gmail.com

पत्रांक– 1462

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना — प्राप्ति संख्या 1210, दिनांक 06/12/2022 — (कैम्प एवं वन संरक्षण संभाग))

प्रेषक,

संजय प्रकाश, भा०व०से०
वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार पटना।

पटना–14, दिनांक– 02/12/2022

विषय– **श्री विकल्प द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत सबदला मौजा के खाता संख्या–115, प्लॉट संख्या–208, पोस्ट+थाना– नासरीगंज में SH-15 डेहरी–नासरीगंज पथ के किनारे Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.0195 हे. वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।**

प्रसंग– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम का कार्यालय पत्रांक–3390 दिनांक–14.11.2022, पत्रांक–3429 दिनांक–19.11.2022 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम ने अपने कार्यालय पत्रांक–3390 दिनांक–14.11.2022 द्वारा सूचित किया है कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी ने उक्त मामले में जाँचोपरांत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिटेल आउटलेट हेतु पहुँच पथ का निर्माण सैद्धांतिक स्वीकृति के पूर्व करा ली गई थी, जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा–33 एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–02 के उल्लंघन पाया है।

साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के कार्यालय पत्रांक–3429 दिनांक–19.11.2022 द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी के सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ही FCA Violation पर लिये गये Complete action taking report अपने मंतव्य के साथ उपलब्ध कराया है।

उक्त दोनों प्रासंगिक पत्र (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इसपर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

02/12/22

वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना।

अभिषेक

कार्यालय :— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम।

वन भवन, सासाराम — 821115

पत्रांक—3390/विधि

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा, भा०व०से०,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना।

वन संरक्षक पत्रांक 3229 दिनांक 19/11/22 अंचल पटना

सासाराम, दिनांक—19/11/2022.

विषय :— **श्री विकल्प द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत सबदला मौजा के खाता संख्या—115, प्लॉट संख्या—208, थाना—नासरीगंज, पो0—नासरीगंज में SH-15 देहरी—नासरीगंज पथ के किनारे Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.0195 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।**

प्रसंग :— उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या—FC/148/2021-963, दिनांक—08.11.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या—FC/148/2021-963 दिनांक—08.11.2022 के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र से इस कार्यालय के पत्रांक—3293, दिनांक—08.11.2022 द्वारा उक्त परियोजना के कार्य को रूकवाने एवं FCA Violation किये जाने के आरोप में जाँचोपरांत् अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया था। जिसके आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र ने जाँचोपरांत् प्रयोक्ता ऐजेन्सी के कार्य पर रोक लगा दी गई है तथा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा—33 के उल्लंघन के आरोप में वन—वाद संख्या—20एफ0/2022 दर्ज किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—02 के उल्लंघन की अनुशंसा की गई है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या—FC/148/2021-963 दिनांक—08.11.2022 एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र के द्वारा FCA Violation की अनुशंसा के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् FCA Violation के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक अग्रेत्तर कारवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनुलग्नक :— यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम।

1979 -E:\Data\D drive\Office work\Forest Court\Court Letter.doc

Forest case No. 20/2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार सरकार

कार्यालय, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

डिहरी वन प्रक्षेत्र, डिहरी (रोहतास)

पत्रांक 452 दिनांक 11-11-2022

सेवा में,

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय,

डिहरी, रोहतास।

विषयः– अपराध प्रतिवेदन संख्या 3251 दिनांक 10.11.2022 के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के पत्रांक 3293 दिनांक 08.11.2022 के आलोक में वनरक्षी श्री हरेन्द्र कुमार के साथ दिनांक 10.11.2022 लगभग अपराह्न 3:30 बजे मौजा सबदला गया। वहां खाता सं0 115 प्लॉट सं 208 थाना नासरीगंज में SH 15 डिहरी–नासरीगंज पथ एवं पथ से लगे नहर के किनारे प्रयोक्ता एजेन्सी श्री विकल्प द्वारा मे0 मधुपर्क फीलिंग स्टेशन Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु एप्रोच पथ का निर्माण कराया गया है। यह कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा बिना भारत सरकार के स्वीकृति एवं सैद्वान्तिक अनुमति stage 1 के सुरक्षित वन के रुप में अधिसूचित स्थल पर पहुंच पथ का निर्माण कराया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 बिहार संशोधन 1989 की धारा 33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन है। स्थल पर उपस्थित वनरक्षी श्री हरेन्द्र कुमार के द्वारा अपराध प्रतिवेदन सं0 3251 समर्पित किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त प्रयोक्ता एजेन्सी के उपर आवश्यक कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाये। घटना से संबंधित विस्तृत जांच प्रतिवेदन श्रीमान् की सेवा में उचित माध्यम से समर्पित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

1 अपराध रिपार्ट सं0 3251 मूल रुप

11/11/2022

प्रभारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
डिहरी वन प्रक्षेत्र डिहरी

कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
डिहरी वन प्रक्षेत्र
पत्रांक 453 / दिनांक 11-11-22

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वास भाजन
11/11/2022

Urgent
14/11/22

11.11.22

अनुसूची 18-फारम सं0 21 क

वन विभाग, बिहार

सं0 3251 (initialed 11/11/2022)

रोहतास/डेहरी प्रमण्डल
सासाराम

टिप्पणी :-यह रिपोर्ट पता लगने के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अपराध रिपोर्ट सं0 3251 तारीख 10-11-2022

1. घटना स्थल - डिहरी नासिरीगंज मुख्य पथ में ग्राम-सबदला के समिप।

2. पता लगने की तारीख और समय - 10-11-2022 समय - 03:30 PM

3. अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास - नही मालुम, विकल्प पम्प प्रयोक्ता एजेन्सी श्री मे० मधुपर्क फीलिंग स्टेशन रिलायंश जियो मोबिलिटी लिमिटेड

4. जब्त सम्पत्ति, यदि हो - X

5. जब्त सम्पत्ति की अभिरक्षा - X

6. साक्षी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास, यदि हो - श्री अरुण चौधरी (मुंशी) स्थायी वनागार डिहरी

7. अपराध का स्वरुप और तथ्य विवरण - बिना पूर्व अनुमती के पहुंच पथ का निर्माण

सेवा में,
प्रभारी वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी

महाशय,

सादर सुचित करना है, की श्री मान के साथ दिनांक 10-11-2022 को लगभग 03:30 pm में डिहरी-नासरीगंज पथ में गया। ग्राम-खण्डला गाँव के समीप डिहरी-नासरीगंज SH-15 में बाँए तरफ पक्की एव नहर किनारे एक पेट्रोल पम्प स्थापित किया गया है, पम्प स्थापना हेतु पहुँच पथ के रूप में आगम एव निर्गम वाले स्थल पर मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया है, यह पम्प प्रयोक्ता एजेंसी श्री विकल्प द्वारा मे० महापर्व फीलिंग स्टेशन Relionce joo mobility Ltd द्वारा स्थापित किया गया है, जाँच के समय कार्य बंद था।

अधिसुचित वन भूमी में बिना पूर्व अनुमति के अप्रोच पथ का निर्माण भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा-33 एंव वन संरक्षण अधि-नियम 1980 की धारा 2 का उलंघन है।

अतः प्रयोक्ता एजेंसी पर उचित कानुनी कार्यवाई करने की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी

Harendra Kumar (F.G.)
10-11-2022

Latitude: 25.030034
Longitude: 84.298233
Elevation: 182.55±54 m
Accuracy: 7.6 m
Time: 10-11-2022 15:37
Note: Sabadala
Dehri

पत्रांक 11

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।

वन भवन, सासाराम- 821115

पत्रांक- 3423.../

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा, भा0व0से0,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।

1176
24/11/2022

सेवा मे,

वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना।

दिनाक- 19 / 11 /2022

विषय :- श्री विकल्प द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत सबदला मौजा के खाता संख्या-115, प्लॉट संख्या-208, थाना-नासरीगंज, पो0-नासरीगंज में SH-15 देहरी-नासरीगंज पथ के किनारे Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम मे पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में **Complete action taking report** के संबंध में।

प्रसंग :- सहायक वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची (झारखण्ड) का कार्यालय पत्र संख्या-एफ.पी./बी.आर /एप्रोच/149796/21, दिनांक-21.09.2022 एवं उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963, दिनाक-08.11.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगाधीन पत्र के संबंध मे सूचित करना है कि उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963, दिनाक-08.11.2022 के साथ संलग्न पत्र संख्या-एफ.पी./बी.आर./एप्रोच/149796/21, दिनाक-21.09.2022 मे उक्त परियोजना के प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा Stage-I स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ही FCA Violation किये जाने की सूचना एवं Complete action taking report की मांग की गई है जो निम्नवत है :-

(1) अधोहस्ताक्षरी द्वारा Part-II भरने की प्रक्रिया के तहत् दिनाक-25.02.2021 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में प्रयोक्ता ऐजेन्सी के द्वारा किसी भी प्रकार का FCA Violation नहीं किया गया था।

(2) अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-3171, दिनाक-25.10.2022 के द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र से FCA Violation की रोकथाम हेतु स्थल जाँच एवं कड़ी कार्यवाही के संबंध मे नियमानुसार निदेश देते हुये प्रतिवेदन की मांग गई थी।

(3) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र ने अपने कार्यालय पत्रांक-432, दिनाक-05.11.2022 के द्वारा संसूचित किया गया है कि उनके द्वारा मौखिक रूप से प्रयोक्ता ऐजेन्सी

Scanned with CamScanner

को Stage-I स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व विषयांकित स्थल के पहुँच पथ पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु निदेशित किया गया है।

(4) दिनांक–04.11.2022 को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं संबंधित वनरक्षी द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को किसी भी प्रकार का FCA Violation नहीं किये जाने के संबंध में निदेशित किया गया।

(5) दिनांक–25.10.2022 को पूर्व में पदस्थापित अनुभवी वनरक्षियों को प्रशिक्षण में जाने की स्थिति में नव–नियुक्त वनरक्षियों को उनका प्रभार सौंपा गया।

(6) रोहतास वन प्रमंडल में अचानक दिनांक–25.10.2022 से क्षेत्रीय कर्मियों की संख्या में कमी होने के कारण नव–नियुक्त वनरक्षी के पास एक से अधिक उप–परिसर का प्रभार होने एवं उनके पदस्थापन क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक होने एवं अनुभवन की कमी होने के उपरांत भी संबंधित वनरक्षी एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कार्य करने से रोका गया।

(7) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा चोरी–छिपे रात में किसी तरह से पहुँच पथ पर कार्य किया गया है।

(8) उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या–FC/148/2021-963, दिनांक–08.11.2022 अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक–08.11.2022 को प्राप्त हुआ। जिसके उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक–3293, दिनांक–08.11.2022 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत FCA Violation किये जाने के संबंध में अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र को निदेशित किया गया।

(9) इस कार्यालय के पत्रांक–3293, दिनांक–08.11.2022 के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र ने प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में वन–वाद संख्या–20एफ0/2022 दर्ज (छायाप्रति संलग्न) करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक–453, दिनांक–11.11.2022 के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया गया है। साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–02 के उल्लंघन की अनुशंसा की गई है।

(10) चूंकि प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा–33 के उल्लंघन का आरोप लगा है जो Non-compundable अपराध है। उक्त वन–वाद संख्या–20एफ0/2022 अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, डिहरी (रोहतास) के न्यायालय में लंबित है।

(11) वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–3419, दिनांक–17.11.2022 द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र को अविलम्ब पूर्ण जाँच अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है।

(12) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र द्वारा स्थल जाँचोपरांत् पाया गया कि संबंधित रिटेल आउटलेट कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco Sensitive Zone से लगभग 25 कि0मी0 दूरी पर अवस्थित है। साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा Stage-I स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व विषयांकित स्थल पर रात के समय चोरी–छिपे पथ पर मात्र मिट्टी गिरा कर कार्य प्रारंभ

किया गया। पहुँच पथ पर किसी भी प्रकार के वृक्षों का पातन नहीं किया। साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार से वनस्पतिजात (Flora) एवं वन्य प्राणिजात (Fauna) को क्षति नहीं पहुँचाई गई है। उक्त बिन्दुओं के अवलोकन करने के उपरान्त नियमानुसार प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर 5 Times NPV के मूल्य को Penal NPV लगाने की अनुशंसा करते हुये Stage-I स्वीकृति दिया जा सकता है।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।

ज्ञापांक 3429 /, दिनांक 19/11/2022

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी (एफ.सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।

Scanned with CamScanner